भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 886
दिनांक 26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कार्यशील डायलिसिस मशीनों की कमी

886. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि संपूर्ण देश में कार्यशील डायलिसिस मशीनों की कमी है, डायलिसिस सेवाओं तक रोगी की पहुंच नहीं है और इन सेवाओं में क्षेत्रीय असमानताएं हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार की सभी जरूरतमंद रोगियों हेतु इसकी पर्याप्त और समानतापूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण देश में डायलिसिस मशीनों के प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने की कोई योजना है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): वर्ष 2016-17 में शुरू किया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत देश में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले सभी लाभार्थियों को क्रोनिक किडनी रोग (सीकेडी) के रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस सेवाएं प्रदान करता है। पीएमएनडीपी के तहत, जिला अस्पतालों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड और इन-हाउस मोड दोनों में डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पीएमएनडीपी के तहत हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस सेवाओं के कार्यान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है।

पीएमएनडीपी पोर्टल को दिनांक 5 मई, 2022 को शुरू किया गया और यह आभा आईडी के साथ एकीकृत है। यह पोर्टल एनएचएम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचालित सभी डायलिसिस केन्द्रों को एकीकृत करता है तथा पूरे देश में डायलिसिस सेवाओं की पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान करता है।

पीएमएनडीपी को सभी 36 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के 748 (54 जुड़े हुए) जिलों में 1495 केंद्रों पर 10183 हेमोडायलिसिस मशीनों के साथ लागू किया गया है। दिनांक 30 जून, 2024 तक 281.52 लाख हेमोडायलिसिस सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। पीएमएनडीपी के तहत हेमोडायलिसिस मशीनों की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति **अनुलग्नक** में दी गई है।

अनुलग्नक: पीएमएनडीपी के अंतर्गत हेमोडियलिसिस मशीनों की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति (दिनांक 30 जून, 2024 तक)						
क्र. सं.	राज्यों के नाम	संचालन मोड: इन हाउस/ पीपीपी	जिलों की कुल संख्या	उन जिलों की संख्या (जहां डाइलिसिस सेवाएँ क्रियाशील हैं)	क्रियाशील डाइलिसिस केन्द्रों की कुल संख्या	क्रियाशील डाइलिसिस मशीनों की कुल संख्या
1	अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह	इन-हाउस	3	3	7	36
2	आंध्र प्रदेश	पीपीपी	26	26	42	555
3	अरुणाचल प्रदेश	पीपीपी	25	25	9	32
4	असम	पीपीपी	33	33	41	277
5	बिहार	पीपीपी	38	38	38	291
6	चंडीगढ़	इन-हाउस	1	1	1	2
7	छत्तीसगढ़	पीपीपी	28	28	31	135
8 (क)	दादरा और नगर हवेली	इन-हाउस	1	1	1	9
8 (ख)	दमन और द्वीव	इन-हाउस	2	2	1	7
9	दिल्ली	पीपीपी	11	11	7	70
10	गोवा	पीपीपी	2	2	15	146
11	गुजरात	इन-हाउस	33	33	270	1303
12	हरियाणा	पीपीपी	22	22	21	204
13	हिमाचल प्रदेश	पीपीपी	12	12	23	124
14	जम्मू और कश्मीर	इन-हाउस	20	20	22	131
15	झारखंड	पीपीपी	24	24	24	92
16	कर्नाटक	पीपीपी	31	31	168	541
17	केरल	इन-हाउस	14	14	106	1176
18	लद्दाख	इन-हाउस	2	2	2	10
19	लक्षद्वीप	इन-हाउस और पीपीपी	1	1	2	3
20	मध्य प्रदेश	पीपीपी	52	52	65	329
21	महाराष्ट्र	इन-हाउस	36	36	63	404
22	मणिपुर	इन-हाउस	16	16	9	40
23	मेघालय	इन-हाउस और पीपीपी	11	11	3	9
24	मिज़ोरम	इन-हाउस	11	11	4	24
25	नागालैंड	इन-हाउस	12	9	4	26

26	उड़ीसा	इन-हाउस और पीपीपी	30	30	58	451
27	पुद्दुचेरी	इन-हाउस	4	4	2	27
28	पंजाब	इन-हाउस	23	23	37	138
29	राजस्थान	पीपीपी और इन-हाउस	33	33	35	130
30	सिक्किम	इन-हाउस	4	4	4	35
31	तमिलनाडु	इन-हाउस और पीपीपी (08 केंद्र)	38	38	139	1219
32	तेलंगाना	पीपीपी	33	33	84	592
33	त्रिपुरा	पीपीपी और इन-हाउस	8	8	8	63
34	उत्तर प्रदेश	पीपीपी	75	75	76	884
35	उत्तराखंड	इन-हाउस और पीपीपी	13	13	18	138
36	पश्चिम बंगाल	पीपीपी और इन-हाउस	23	23	55	530
कुल			**751**	**748**	**1495**	**10183**

****